

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 377/2021

अनवान : -

- 1 जयवीर पुत्र शंकरलाल जाति छिम्मा निवासी भानगढ़ त० भादरा।

: - यानी

बनाम

1. दुलीचंद पुत्र मधाराम छिम्मा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
2. मदनलाल पुत्र मधाराम छिम्मा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
3. रोहताश पुत्र मधाराम छिम्मा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
4. बनारसी देवी पत्नी शंकरलाल छिम्मा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
5. धर्मवीर पुत्र शंकरलाल छिम्मा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
6. देशराज पुत्र शंकरलाल छिम्मा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
7. सुखवीर पुत्र शंकरलाल छिम्मा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
8. एसबीआई शाखा डाकडी जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजरव भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद गुझ श्रीमति शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुनील वैनीवाल तथा वकील प्रतिवादी विजेन्द्र वैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही भानगढ़ के खाता सं० 77/188 के खसरा सं० 382/3 की 0.0510 है०, खसरा सं० 383/2 की 2.3270 है०, खसरा सं० 393 की 0.6320 है० खसरा सं० 394/2 की 0.1390 है०, कुल 3 1490 है० बरानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 तथा 7 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा खातेदारी भूमि का का अच्छी मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर पटवारी हल्का भानगढ़ द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व नथ रंगदार नक्शा दिनांक 28.12.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारानों को सुना गया। सभी पक्षकारानों ने विभाजन प्रस्ताव पर राहमति दर्ज करवाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारानों का विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

- 1 हिस्सा बनारसी पत्नी शंकरलाल, जयवीर, देशराज, सुखवीर, धर्मवीर पि० शंकरलाल जाति छिम्मा सा० देह खातेदार:-

ग्राम भानगढ़ के खसरा सं० 393 की 0.158 है०, खसरा सं० 394/1 की 0.025 है० खसरा सं० 382/3 की 0.048 है०, खसरा सं० 383/2 की 0.536 है० कुल 0.777 है० बरानी।

- 2 हिस्सा रोहताश पुत्र मधाराम जाति छिम्मा सा० देह खातेदार:-



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

ग्राम मानगढ के खसरा सं० 393 की 0.158है०, खसरा सं० 394/2 की 0.035है०, खसरा सं० 383/2 की 0.584है०, कुल 0.777है० बाराणी।

3 हिस्सा दुलीचंद पुत्र मघाराम जाति छिम्पा सा० देह खातेदार:-

ग्राम मानगढ के खसरा सं० 393 की 0.158है०, खसरा सं० 394/2 की 0.035है०, खसरा सं० 383/2 की 0.584है०, कुल 0.777है० बाराणी।


4 हिस्सा मदनलाल पुत्र मघाराम जाति छिम्पा सा० देह खातेदार:-

ग्राम मानगढ के खसरा सं० 393 की 0.158है०, खसरा सं० 394/2 की 0.034है०, खसरा सं० 383/2 की 0.584है०, कुल 0.776है० बाराणी।


किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01-02-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शक्ति चौधरी)

सहायक कलक्टर S.
सहाय (फिक्स्ट स्ट्रेक) (आपस्ट्रेक)
भारतपुर, जिला हनुमानगढ़

नोट:- निर्णय दिनांक 01-02-2022 में खसरा सं० 382/3 की 0.003है० व खसरा सं० 383/2 की 0.039है० में रास्ता का अंकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पठा जावे। 

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि०न० - 377/2021

अनवान :-

- 1 जयवीर पुत्र शंकरलाल जाति छिम्पा निवासी भानगढ़ त० भादरा।

:- वादी

बनाम

1. दुलीचंद पुत्र मघाराम छिम्पा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
2. मदनलाल पुत्र मघाराम छिम्पा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
3. रोहताश पुत्र मघाराम छिम्पा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
4. बनारसी देवी पत्नी शंकरलाल छिम्पा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
5. धर्मवीर पुत्र शंकरलाल छिम्पा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
6. देशराज पुत्र शंकरलाल छिम्पा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
7. सुखवीर पुत्र शंकरलाल छिम्पा निवासी भानगढ़ त० भादरा।
8. एसबीआई शाखा डाकडी जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता तकसीम

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री सुनील घेनीवाल : वादी

वकील श्री विजेन्द्र घेनीवाल : प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक: 01.02.2022

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही भानगढ़ के खता सं० 77/188 के खसरा सं० 382/3 की 0.0510 है०, खसरा सं० 383/2 की 2.3270 है०, खसरा सं० 393 की 0.6320 है०, खसरा सं० 394/2 की 0.1390 है०, कुल 3.1490 है० वारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 ता 7 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

विवादित कृषि भूमि का पक्षकारान के मध्य वाहमी बंटवारा मीट्स एण्ड काऊण्ड से अर्सा 10 वर्ष पहले हो चुका है। पक्षकारान अपने वाहमी बंटवारा के मुताबिक अपने हिस्से की भूमि काश्त करते आ रहे हैं। महज कागजात माल में खाता भूशुल्क दर्ज है चूंकि पक्षकारान का खाता काफी बड़ा है तथा पक्षकारान के मध्य काश्त व लगान की बाबत तनाव होता रहता है, इसलिए वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक वाहमी बंटवारा अपने हिस्से का खाता व लगान अलग कायम करवा पाने का कागज़ी हवाला है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण सं० 1 ता 7 वीं ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 8 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया

व प्रतिवादी सं० 9 स्टेट की ओर से जवाब दावा पेश किया। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर अनापत्ति जाहिर की।

वहस वकील वादीगण सुनी गई। दौरान वहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक बाहमी बटवारा के उनके दी गई भूमि पर काश्त करते आ रहे हैं। उसी अनुसार खाल लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक की वहस पर मनन किया गया। अस्तगत प्रकरण में वादी ने भानगढ के राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जो सत्यप्रतिलिपि जमावन्दी रोही भानगढ के खाता सं० 77/188 के खसरा सं० 382/3 की 0.0510 है०, खसरा सं० 383/2 की 2.3270 है०, खसरा सं० 393 की 0.6320 है०, खसरा सं० 394/2 की 0.1390 है०, कुल 3.1490 है० वारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 ता 7 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है कि रोही भानगढ के खाता सं० 77/188 के खसरा सं० 382/3 की 0.0510 है०, खसरा सं० 383/2 की 2.3270 है०, खसरा सं० 393 की 0.6320 है०, खसरा सं० 394/2 की 0.1390 है०, कुल 3.1490 है० वारानी खातेदारी कृषि भूमि में वादी का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 4 ता 7 प्रत्येक का 1/20 हिस्सा खातेदारी भूमि का अच्ची मन्दी के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार किया जाकर पटवारी हल्का भानगढ द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रगंदार नक्शा दिनांक 28.12.2021 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ पक्षकारान को सुना गया। सभी पक्षकारानों ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करवाकर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान वग विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

1 हिस्सा बनारसी पत्नी शंकरलाल, जयवीर, देशराज, सुखवीर, धर्मवीर पि० शंकरलाल जाति छिम्पा सा० देह खातेदार:-

ग्राम भानगढ के खसरा सं० 393 की 0.158 है०, खसरा सं० 394/2 की 0.035 है०, खसरा सं० 382/3 की 0.048 है०, खसरा सं० 383/2 की 0.536 है० कुल 0.777 है० वारानी।

2 हिस्सा रोहताश पुत्र मघाराम जाति छिम्पा सा० देह खातेदार:-

ग्राम भानगढ के खसरा सं० 393 की 0.158 है०, खसरा सं० 394/2 की 0.035 है०, खसरा सं० 383/2 की 0.584 है०, कुल 0.777 है० वारानी।

3 हिस्सा दुलीचंद पुत्र मघाराम जाति छिम्पा सा० देह खातेदार:-

ग्राम भानगढ के खसरा सं० 393 की 0.158 है०, खसरा सं० 394/2 की 0.035 है०, खसरा सं० 383/2 की 0.584 है०, कुल 0.777 है० वारानी।

4 हिस्सा मदनलाल पुत्र मघाराम जाति छिम्पा सा० देह खातेदार:-




ग्राम भानगढ के खसरा सं० 393 की 0.158 है०, खसरा सं० 394/2 की 0.034 है०, खसरा सं० 383/2 की 0.584 है०, कुल 0.776 है० बरानी।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन यथावत रखा जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.02.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(राकुन्ना बा चौधरी)

सहायक कलेक्टर,
सहायक (विशेष डिक्री) अफसर (बैंक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

नोट: निर्णय दिनांक 01.02.2022 में खसरा सं० 382/3 की 0.003 है० व खसरा सं० 383/2 की 0.039 है० में रास्ता का अंलग्न भूताविक विभाजन प्रस्ताव पढा जावे।

